despite the law prohibiting their employment in such industries;

(b) whether Government are also aware that most of the child labourers remain illiterate and many of them suffer from chronic ailments such as T.B., Cancer etc.

(c) if so, whether Government proposed to make it compulsory for the employers of children to send such children to schools in the evening or night schools and insure them against disease and occupational accidents; and

(d) if not, the reasons therefor and what action Government propose to take to improve the lot of child labourers in the country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) and (b) Government is aware that many children are working under difficult conditions and they are not able to avail of the educational facilities due to socio-economic compulsions.

(c) and (d) A number of legislations have been enacted with a view to protect the children from exploitation at work and also to improve their working conditions. Social security benefits concerning workers' compensation and also insurance are available as per legislative provisions and specific schemes for all workers. The National Policy on Child Labour 1987, *inter alia*, envisages project based plan of action in areas of concentration of child labour and focussing on general development programme for the benefit of child labour. Financial assistance to voluntary organisations is also provided for taking up action-oriented projects. All these welfare projects generally have an integrated approach comprising educational, vocational training, nutritional, health care etc. Many State Governments also have legislated making educational compulsory for all children. Hence, there is no proposal to compel the employers to ensure education of children.

2072 [*Transferred to the 12th May 1992*]

Minimum wages of mine workers

2073. SHRI CHANDRA MOHAN SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the level of minimum wages of piece rated mining labourer and a time-rated labourer at the Badampahar, Sulaipat, Gorumohisani Purunapani Iron ore mines at present;

(b) what are other facilities being provided to the labourers apart from the wages by the employers; and

(c) what are the names of the lease holders of these mines and what is the average daily output in each of these mines in the year 1991-92?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बीड़ी-मजदूरों के लिए कल्याण योजनायें

2074. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आज़मी** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बीड़ी-मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) बीड़ी-मजदूरों के कल्याण हेतु इस समय कौन-कौन सी कल्याण योजनायें चलायी जा रही हैं ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में बीड़ी कर्मकारों की कार्यदशाओं को नियमित करने और नियोक्ताओं या ठेकेदारों के शोषण से उनको बचाने के प्रावधान शामिल हैं । राज्य

सरकारों से, जो कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं, इन प्रावधान के कठोर प्रवर्तन के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (ग) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत आवास, चिकित्सा, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाओं दी गयी हैं । बीड़ी कर्मकारों के लिए चलायी जा रही कल्याण योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में दी गयी है ।

विवरण

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत चलाई जा रही कल्याण योजनायें

स्वास्थ्य

1. तपेदिक अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण ।
2. कैंसर से पीड़ित कर्मकारों की वास्तविक उपचार खर्च की प्रतिपूर्ति ।
3. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के उपचार के लिए सुविधा देने की योजना ।
4. बीड़ी कर्मकारों (घर खाता कर्मकारों सहित) को मुफ्त चश्मा देने की योजना ।
5. हृदयरोगों की चिकित्सा की योजना ।
6. बीड़ी कर्मकारों के लिए कुष्ठ-राहत योजना ।
7. तपेदिक से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों का घर पर उपचार ।
8. गुर्दाप्रतिरोपण आदि के लिए बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में खर्च की प्रतिपूर्ति देने की योजना ।
9. महिला बीड़ी कर्मकार के लिए प्रसूति प्रसुविधा योजना ।
10. बीड़ी कर्मकारों की नसबंदी के लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति की योजन
11. उन बीड़ी कर्मचारी के लिए सामूहिक बीमा योजना जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य नहीं हैं–01 अप्रेल, 1992 से आरम्भ की गयी है ।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना ।
2. स्कूल जा रहे बच्चों को ड्रेस का सैट देने के लिए वित्तीय सहायता ।

आवास

1. अपना मकान स्वयं बनाओ योजना ।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना ।
3. बीड़ी कर्मकारों के लिए सामूहिक आवास योजना ।
4. वर्कशेडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी कर्मकारों के सहकारिता सोसायटी को वित्तीय सहायता देना ।

मनोरंजन

1. दृष्य श्रव्य सैटों/सिनेमा वैन/फिल्म प्रदर्शन की योजना ।
2. खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना ।
3. अवकाश गृहों के प्रावधान की योजना ।

Child Labour engaged in Hazardous work

2075. SHRI RAMSINH RATHWA:

SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Goverament have done any survey regarding the existing child labour in the country;